निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1947 (श0)

(सं0 पटना 139) पटना, मंगलवार, 3 फरवरी 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अक्तूबर 2025

सं० 1स्था०–82/2025–2894/वि0स0—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०–19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित प्रावधान के तहत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु वरीयता के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय के प्रशासनिक संवर्ग में निम्नांकित उप सचिव को निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि में से शेष अवधि को क्षांत करते हुए निदेशक के विहित वेतनमान (वेतन स्तर–13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :–

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान धारित पद
1.	श्रीमती अनुपमा प्रसाद	उप सचिव
2.	श्रीमती पूनम सिन्हा	उप सचिव

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०–19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्यधीन है ।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक निदेशक (विहित वेतनमान–वेतन स्तर–13) में उत्क्रमित किया जाता है ।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा ।

इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित दिये जाने वाले प्रभार संबंधी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा तथा संबंधितों को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि वापस ले ली जायेगी ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 139-571+10-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in